# बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

BIHAR

बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना–800 023

दूरभाष नं0–0612-2281250/2282265, फैक्स–0612-2281050

वेबसाईट–http://bspcb.bih.nic.in.

पटना, दिनांक:-

[illegible]-04-014/12 पार्ट2

प्रेषक

राकेश कुमार, भा.व.से.,

सदस्य-सचिव।

सेवा में

1. जिला पदाधिकारी,
   भोजपुर।

2. महाप्रबंधक,
   जिला उद्योग केन्द्र,
   भोजपुर(आरा)।

3. सचिव,
   जिला परिषद्,
   भोजपुर(आरा)।

विषय: -सर्वश्री रामके इन्वायरो इंजिनियर्स लि., हैदराबाद का अनुभाग सर्वश्री बिहार अपशिष्ट प्रबंधन लि. द्वारा मौजा-महुई, कोईलवर-बबुरा रोड, जिला-भोजपुर, बिहार के खाता नं0-69, अंश- 68/2, 67/3, थाना-107 में ''एकीकृत सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, उपचार, भंडारण, निपटान एवं पुन:चक्रण सुविधायें''की स्थापना हेतु पर्यावणीय स्वीकृति से पूर्व आयोजि की जानी वाली लोक-सुनवाई से संबंधित योजना का ई. आई.ए. प्रतिवेदन तथा कार्यकारी सारांश प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण (संरक्षण) 1986 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरणीय 'प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006' अनुसार भोजपुर जिला के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना के प्रभाव क्षेत्र के लोगों के लिए लोक-सुनवाई दिनांक-16.10.2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अम्बिका शरण सिंह उच्च विद्यालय जमालपुर, पोस्ट-नया महमदपुर, जिला-भोजपुर में आहूत की गयी है। लोक सुनवाई से संबंधित सूचना की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

इस परियोजना का ई.आई.ए. प्रतिवेदन तथा कार्यकारी सारांश प्रतिवेदन की प्रति आपके कार्यालय में प्रेषित की जा रही है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हो, अपना सुझाव/प्रतिक्रिया इस सूचना की प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों कें अंदर पर्षद् को उपलब्ध करा सकते हैं।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राकेश कुमार)

सदस्य-सचिव।

संलग्न: यथा उपरोक्त।

पटना, दिनांक:- 08/9/14

ज्ञापांक:- 7.986

प्रतिलिपि:-M/s Ramky Enviro Engineers Limited, Ramky Grandiose-13th Floor, Ramky Towers Complex, Gachibowli, Hyuderabad-500032 for information and necessary action.

(राकेश कुमार)

सदस्य-सचिव।

Regd Post

(110)

BIHAR STATE POLLUTION CONTROL BOARD
BELTRON Bhawan, Shastri Nagar, Patna–800 023
EPABX - 0612-2281250/2282265, Fax-0612-2281050
E-mail-bspcb@vsnl.net, Website - http://bspcb.bih.nic.in

Ref. No. P|T-04-014|12 Patna, dated-

From,

Rakesh Kumar, I.F.S,
Member Secretary.

To,

Sri Lalit Kapur,
Director (1A-III),
Ministry of Environment, Forests and Climate Change,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj,
New Delhi-110 003.

Sub:-***Proceeding of*** **Public Hearing related with Environmental Clearance for Development of Integrated Common Hazardous Waste treatment, storage, disposal and recycling facilities at Mahui Mauja, District Bhojpur, Bihar by M/s Ramky Enviro Engineers Limited-reg.**

Ref. No. TOR issued by MoEF. GoI vide-F.No. 10-6/2013-IA.III, dated-21.08.2013.

Sir,

With reference to the subject noted above this is to inform you that this Board conducted Public Hearing on 16.10.2014 at Ambika Sharan Singh, High School Jamalpur, Post-Naya Mahmadpur, Koilwar-Babura Road, Dist-Bhojpur as per EIA Notification 2006.

A proceeding of the Public Hearing along with attendance sheet & Video C.D. is enclosed for needful action from the MoEF, Govt. of India.

Yours faithfully,

Thanking you,

Sd/-
(Rakesh Kumar)
Member Secretary.

Encl: As above.

Memo no. Patna, dated-

Copy forwarded to District Magistrate, Bhojpur for kind information and necessary action.

Sd/-
(Rakesh Kumar)
Member Secretary

Memo no. B-1398 Patna, dated- 12.11.14

Copy forwarded to M/s Ramky Enviro Engineers Ltd., Ramky House, Rajbhawan Road, Somajiguda, Hyderabad-500 082 (A.P.) for kind information and necessary action.

(Rakesh Kumar)
Member Secretary

**सर्वश्री रामके इन्वायरो इंजीनियर्स लि., हैदराबाद द्वारा मौजा-महुई, कोइलवर-बबुरा रोड, जिला-भोजपुर बिहार के खाता संख्या-69 अंश 68/2, 67/3 थाना-107 में ''एकीकृत सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, उपचार, भंडारण, निपटान एवं पुनःचक्रण सुविधायें की स्थापना हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व दिनांक-16-10-2014 (गुरूवार) को आयोजित लोक-सुनवाई का वृत्त।**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त टी.ओ.आर.(पर्यावरणीय विचारो) के आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् पटना द्वारा पर्षद् पत्रांक: टी-9866, दिनांक: 08.09.2014, अनुसार, भोजपुर समाहरणालय (सामान्य प्रशाखा) पत्रांक: 2598, दिनांक 11.10.2014 के आलोक में श्री सत्य कुमार सिन्हा, अपर समाहर्त्ता, भोजपुर की अध्यक्षता में दिनांक-16.10.2014 को अम्बिका शरण सिंह उच्च विद्यालय, जमालपुर, पोस्ट-नया महमदपुर, कोइलवर-बबुरा रोड, जिला-भोजपुर में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी।

इस लोक सुनवाई में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण के प्रतिनिधि श्री नन्द कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता तथा श्री एस.एन. जायसवाल, वैज्ञानिक एवं अन्य उपस्थित हुए। अपर समाहर्त्ता, भोजपुर एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के प्रतिनिधि ने लोक-सुनवाई में उपस्थित सभी जनों का स्वागत किया। तदुपरान्त सर्वश्री रामके इन्वायरो इंजीनियर्स लि, हैदराबाद के प्रतिनिधि डा. के. श्रीनिवास एवं श्री राम नारायण अग्निहोत्री ने परियोजना का प्रस्तुतीकरण के पश्चात लोक-सुनवाई के क्रम में उपस्थित समुदाय के प्रतिक्रिया का प्रत्युतर दिया।

श्री के. श्रीनिवास द्वारा पावर प्वांइट प्रस्तुतीकरण कर बताया कि इस प्रस्तावित योजना की कुल परियोजना लागत 248.67 करोड़ रूपये होगी तथा इस कुल 57.24 एकड़ भूमि पर स्थापित की जायेगी। इस एकीकृत सुविधा के अन्तर्गत प्रथम चरण में औद्योगिक अपशिष्ट का भूमि भरण सुविधा (25000 टी.पी.ए.), उपचार स्टेबलाइजेसन (15000 टी.पी.ए.), जीव-चिकित्सा अपशिष्टों का उपचार एवं निपटान (1500 टी.पी.ए.) तथा ई-अपशिष्ट के पुनःचक्रण एवं निपटान (30000 टी.पी.ए.) की व्यवस्था विकसित की जायेगी। द्वितीय चरण में भष्मीकरण (20000 टी.पी.ए.), उपभोगित तेल (Used Oil) का पुनःचक्रण (Recycling) एवं सफाई (10000 टी.पी.ए.), उपयोगित लेड-एसीड बैट्री का पुनःचक्रण (24000 टी.पी.ए.), प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रण (10000 टी.पी.ए.), अपशिष्ट कागज का पुनःचक्रण (10000 टी.पी.ए.), आदि एवं तृतीय चरण में कचरों से ऊर्जा (2 मेगावाट) तथा सौर-थर्मल ऊर्जा (2 मेगावाट) की उत्पादन सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए कुल 1500 किलोवाट ऊर्जा की तथा 423 किलोवाट भू-गर्भीय जल की आवश्यकता होगी। इससे कुल 80 किलोलीटर प्रति दिन वहिस्राव जनित होंगे। प्रदूषित वहिस्राव के उपचार हेतु उपचार संयंत्र व्यवस्था की होगी तथा इकाई परिसर से वाहर किसी भी प्रकार का वहिस्राव निःसारित नहीं होगा। इकाई द्वारा

परिसर में पूर्णतः शून्य वहिस्राव की स्थिति (Zero Liquid Discharge) बनायी रखी जायेगी। इनसीनेरेटर से जुड़े चिमनी की ऊचाई 30 मीटर रखी जायेगी। चिमनी से होने वाली उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्सर्जन को मानक के अनुरूप बनाये रखने हेतु वायु प्रदूषण व्यवस्था के रूप में मल्टी-साइक्लोन (Multi Cyclone), बैग हाऊस (Bag House) तथा वेट स्क्रवर (Wet Scrubber) लगाये जायेंगे। चिमनी उत्सर्जन की मोनिटोरिंग हेतु Real Time Emission Quality Monitoring System (RTEQMS) लगाये जायेंगे, जिसे अनवरत रूप से उत्सर्जन के आंकड़ें प्राप्त हो सकेंगे।

वैसे अपशिष्ट जिनको प्रोसेसिंग कर उसमें निहित उपयोगी पदार्थों को पुनः उपयोग बनाये जाने की संभावना होगी, को ही पुनःचक्रित किया जयोगा। प्राप्त अपशिष्टों यथा-उपयोगित तेल, लेड-एसीड बैट्रे, ई.अपशिष्ट, कागज अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट को यथा संभव पुनःचक्रित कर निहित पदार्थों को उपयोग में लाने हेतु बनाया जायेगा। पुनः चक्रण क्रिया में जनित अनुपयोगी अपशिष्टों को इनसीनेरीटर या भूमि-भरण व्यवस्था में डालकर निपटान किया जायेगा।

इनसीनेरीटर में वैसे अपशिष्टों को ही जलाकर निपटान किया जायेगा जिसका किसी भी पद्धति द्वारा इसका पुनः उपयोग या पुनःचक्रण करना संभव नहीं होता है, तथा इनकी कैलोरीफिक मूल्य होता है। अपशिष्टों को अंतिम रूप से निपटान (Disposal) हेतु इसे इनसीनेरीटर या भूमि-भरण की पद्धति ही सर्वमान्य पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्वीकृत तकनीकी है। इनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के उपचारोपरांत इसे अंतिम रूप से निपटान के लिए अलग से कोई इनसीनेरेटर नहीं लगायी जायेगी। एक ही इनसीनेरटर से औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों एवं जीव-चिकित्सा अपशिष्टों का अंतिम रूप से निपटान की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। वैसे अपशिष्ट जिनका कैलोरीफिक मूल्य नहीं है उसे भूमि-भरण के लिए प्रणालित किया जायेगा।

इनके द्वारा अधिकृत भूमि पर पुनःचक्रण, भमि-भरण या भष्मीकरण संयंत्रों के स्थापना के अतिरिक्त सड़क निर्माण, हरित पट्टी का भी विकास किया जायेगा। इस एकीकृत सुविधा में लगभग 220 मानव बल कार्य करेंगे।

यह भी सूचित किया गया कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के दौरान क्षेत्र के परिवेशीय वायु, शोर स्तर एवं भूर्गीय जल की गुणवत्ता मानकों के अनुकूल पाया गया। योजना के स्थापना के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना भी तैयार किया गया है जिसके अनुपालन से इस इकाई के स्थापना एवं संचालन से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। यह भी सूचित किया गया कि प्रस्तावित स्थल से आवासी (200) की दूरी 0.5 किलोमीटर तथा सोन नदी तट की दूरी लगभग 1.0 किलोमीटर है। आरा रेलवे स्टेशन तथा हाइवे की दूरी क्रमशः 15 एवं 4 किलोमीटर है।

इस एकीकृत व्यवस्था में स्थापित होने वाले इनसीनेरेटर तथा भूमि-भरण सुविधा भारत सरकार के गाइडलाइन्स के अनुरूप बनाये जायेगें। कचरों के प्रबंधन हेतु एक आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापन

भी की जायेगी ताकि कचरों की गुणवत्ता का आकलन कर पश्चात ही इन्हे स्थापित तकनीकी से प्रबंधित किया जा सके।

योजना की तकनीकी प्रस्तुतीकरण के पश्चात उपस्थित जनों द्वारा प्रतिक्रिया/सुझाव दिये गये। जन समुदाय की प्रतिक्रिया निम्नवत् है:-

1. श्री गौरी शंकर शर्मा, नारायणपुर, दौलतपुर, भोजपुर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कह कि-अपशिष्टों के पुन:चक्रण के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है या जलाया जाता है। इससे निश्चय प्रदूषण होगा की नही। यदि होगा तो इसे कैसे नियंत्रित करेंगे। रिसाइक्लींग के लिए भू-भर्गीय जल का उपयोग करेंगे। इससे भू-भूर्गीय जल स्तर और नीचे चला जायेगा। ई. अपशिष्ट से विकिरण से कैसे निपटेंगे तथा रिसाइक्लींग से निकलने वाले कचरों का क्या करेंगे। इन्होंने इस योजना की स्थापना का विरोध किया।

श्री शर्मा की प्रतिक्रिया के आलोक में सर्वश्री रामके इन्वायरो इंजीनियर्स लि. के तकनीकी विशेषज्ञ डा. के. निवासन एवं श्री राम नारायण अग्निहोत्री ने बताया कि रिसाइक्लींग के लिए अपशिष्ट को जलाया नहीं जायेगा।' इसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थापित तकनीकी द्वारा कचरों को उनके प्रकार के अनुसार पुन:चक्रण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। वायु उत्सर्जन की संभावना इनसीनेरेटर (जिसका उपयोग कैलोरीफिक मूल्य (दहन क्षमता)वाले कचरों के अंतिम रूप से निपटान के लिए किया जायेगा) से जुड़े चिमनी से हो सकती है। इनसीनेरेटर से जुड़े चिमनी के उत्सर्जन में उपस्थित प्रदूषक तत्व का रोकथाम हेतु वायु प्रदूषण व्यवस्था के रूप में मल्टी-साइक्लोन, बैग हाऊस तथा वेट स्क्रवर लगाया जायेगा। वृक्षारोपण/हरित पट्टी का भी विकास किया जायेगा। उत्सर्जन की जांच हेतु अनवरत उत्सर्ज मोनीटोरिंग व्यवस्था (CEMS) लगाये जायेगे। जिसका निरंतर अवलोकन किया जायेगा। भू-गर्भीय जल का उपयोग विभिन्न औद्योगिक एवं घरेलू कार्यो के लिए किया जायेगा। कुलिंग जल का उपयोग बंद परिपथ में रखा जायेगा। जनित वहिस्राव को पूर्णत: उपचारित किया जायेगा तथा परिसर के बाहर शून्य वहिस्राव की सुविधा बनायी जायेगी। नदी में किसी भी प्रकार का वहिस्राव नि:सारित नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा मोबाइल फोन के संचालन के दौरान ही रेडिएशन निकलता है। इसके उपयोग के पश्चात चुंकि यह परित्यक्त हो जाता है। तथा इसका संचालन बंद हो जाता है। ऐसे परित्यक्त किसी भी प्रकार के विकिरण की संभावना नहीं रहेंगी। रिसाइक्लींग के दौरान जनित कचरों को भूमि-भरण सुविधा में रखा जायेगा या इसके कैलोरीफिक मूल्य के आधार पर इनसीनरेटर में जलाकर निपटान किया जायेगा।

2. श्री शशि भूषण पंडित, जोगता, भोजपुर ने बताया कि मैं यहा का निवासी हूँ तथा दिल्ली से लोक-सुनवाई में शामिल होने आया हूँ। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि लोक-सुनवाई के लिए प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। प्रस्तावित स्थल की दूरी नदी से मात्र 50 मीटर है। ई.आई.ए. में कहा गया कि कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। क्लोरीनेटेड प्लास्टिक को जलायेंगे तो डायऑक्सीन गैस निकलेगी। कागज में क्लोरीन रहता है इससे जल प्रदूषित होगा। कम्पनी खुद प्लांट लगा रही है तथा

ई.आई.ए. का कार्य भी खुद कम्पनी ने ही किया है अतः ई.आई.ए. तीसरी पार्टी से करायी जाये। सर्वश्री रामके इन्वायरो इंजीनियर्स लि. को सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 के एक आदेश में चोर कम्पनी के रूप में घोषित किया है। इसकी जांच की जानी चाहिए। यह मजदूरों पर अत्याचार करती है। यह कम्पनी लोगों के लिए काम नहीं करती है। इस कम्पनी के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इन्होंने इस सामूहिक सुविधा के स्थापना का विरोध किया।

श्री पंडित की प्रतिक्रिया के आलोक में अपर समाहर्त्ता, भोजपुर एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि लोक-सुनवाई के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अनुपालन में लोक-सुनवाई (दिनांक-16.10.2014) से तीस दिन से ज्यादा समय पूर्व अर्थात् दिनांक-06 सितम्बर, 2014 को दैनिक समाचार पत्रों यथा- दैनिक जागरण, प्रभात खबर, एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया में सूचना प्रकाशित कर परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से अपना सुझाव/प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने की अपील की गयी थी। परियोजना का ई.आई.ए. प्रतिवेदन तथा कार्यकारी सारांश (हिन्दी एवं अंग्रजी) में जिला पदाधिकारी, भोजपुर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर तथा जिला परिषद् के कार्यालय में जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध करा दिए गये थे।

सर्वश्री रामके इन्वायरो इंजीनियर्स लि. के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि प्रस्तावित स्थल सोन नदी तट से लगभग 01 किलोमीटर है। सर्वश्री रामके इन्वायरो इंजीनियर्स लि. के सलाहकार प्रभाग के द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तैयार किया गया है। यह सलाहकार प्रभाग National Accreditation Board for Education & Training (NABET) द्वारा ई.आई.ए सलाहकार के रूप में Accredited है। माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा इस कम्पनी के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जैसा कि श्री पंडित ने बताया। श्री पंडित की बातें साक्ष्य से परे है, यदि ऐसा है, तो आदेश की प्रति उपलब करावें। श्री पंडित द्वारा ऐसे आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं करा सके।

3. श्री गंगा सागर सिंह, मानिकपुर, भोजपुर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उद्योग की स्थापना आबादी से 10 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए। विष्णुपुर गांव स्थल से 3 किलोमीटर है तो कैसे यह उद्योग स्थापित किया जा सकता है?

इनके प्रतिक्रिया के आलोक में इन्हें सूचित किया गया कि आबादी (200 जनसंख्या) की दूरी संबंधित गाइडलाइन्स 0.5 किलोमीटर है।

4. श्री गोपाल कृष्णन, जमालपुर, भोजपुर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि माननीय उच्च न्यायालय जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के सामूहिक उपचार एवं निपटान व्यवस्था के लिए स्थापित इनसीनेरेटर के लिए आबादी की दूरी 10 किलोमीटर रखने का आदेश पारित किया है। ई.आई.ए. में रेल लाइन-स्टेशन आरा दिखाया है, जबकि कोइलवर न्यूनतम दूरी है। प्रस्तावित स्थल से 03 से 4 किलोमीटर के क्षेत्र में विद्यालय सी.आर.पी.एफ. कैम्प है। इसकी चर्चा ई.आई.ए. में नहीं की गयी है। सर्वश्री रामके द्वारा ही ई.आई.ए. तैयार किया गया है यह धोखाधड़ी है। बिहार राज्य प्रदूषण नि

षद् के पास Dioxin उत्सर्जन की मॉनिटोरिंग की सुविधा नहीं है तो कैसे इनसीनेरेटर से निकलने वाला उत्सर्जन की जांच की जायेगी। प्रस्तावित योजना के लिए जमीन खरीदारी के समय बताया गया कि यहा स्टील कारखाना लगाया जायेगा। नदी से स्थल की दूरी 500 मीटर होनी चाहिए, क्या यह दूरी कम नहीं है? अभी तक राज्य के उद्योगों से निकलने वाले कचरों के प्रबंधन कैसे होते रहा है? यह योजना जन-विरोधी है। इसलिए इसकी स्थापना का वे विरोध करते है।

श्री गोपाल कृष्णन की प्रतिक्रिया के आलोक में उन्हें यह सूचित किया गया कि एन.जी.टी. ने अपने आदेश में सामूहिक जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उचार एवं निपटान (CBMWTDF) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति लेना अनिवार्य हो गया है। इस प्रस्तावित सामूहिक व्यवस्था में जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार के पश्चात अंतिम रूप से निपटान हेतु अलग से इनसीनेरेटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। परिसंकटमय अपशिष्ट के लिए स्थापित किए जाने वाले इनसीनेरेटर से ही यह कार्य किया जायेगा। पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ही यह लोक-सुनवाई आयोजित है। रेलवे लाइन की दूरी आरा एवं कोइलवर दोनों ही स्थिति में गाइडलाइन्स (0.5 किलोमीटर) से काफी ज्यादा है। प्रस्तावित स्थल से 0.5 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी विद्यालय या सी.आर.पी.एफ. कैम्प नहीं है। सोन नदी की दूरी लगभग 01 किलोमीटर है। सर्वश्री रामके एन.ए.बी.ई.टी. द्वारा Accredited Consultant है। यह EIA तैयार के लिए प्राधिकृत है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा सूचित किया गया कि अभी पर्षद् के पास Dioxin की जांच हेतु व्यवस्था अभी नहीं है परन्तु, आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इसकी जांच करायी जा सकती है। इकाइ में ऑनलाइन उत्सर्जन मोनिटोंरिग व्यवस्था स्थापित की जायेगी। राज्य के अंदर स्थापित उद्योगों से निकलने वाले कुछ औद्योगिक अपशिष्टों का पुन:चक्रण से जुड़े उद्योग से इसका पुन:चक्रण कर पुन: उपयोग मे लाने हेतु बनाया जाता है। अंतिम रूप से निपटान के लिए राज्य के बाहर स्थापित सीमेन्ट एवं टी.एस.डी.एफ. के माध्यम से निपटान किया जा जाता है।

5. श्री अशोक कुमार जैन, कोइलवर, भोजपुर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कृ योग्य भूमि का उपयोग औद्योगिक उपयोग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि ऊ खपत एवं जल खपत से संबंधित आंकड़े सही प्रतीत नहीं होता है। यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है।
6. श्री प्रभुनाथ सिंह, नारायणपुर, पूर्व मुखिया ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि प्रस्तावित स्थल प्रभावित क्षेत्र है। स्थल की दूरी नदी से बहुत कम है। इसलिए इस पर निरीक्षण कराकर निर्णय लि जाना चाहिए।
7. श्री संदीप कुमार एवं श्री मनोज कुमार, जमालपुर ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि इस व्यव के अन्तर्गत कचरों का भंडारण की व्यवस्था समुचित करनी होगी। कचरा बाहर से आयेगा। इस के प्लांट यहां नहीं लगना चाहिए।
8. श्री विजेन्दर कुमार, मानाचक ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि यह गांव की जमीन है। इ गांव का विकास होना चाहिए तथा इस प्लांट की स्थापना की जानी चाहिए।

9. श्री प्रभु यादव, **पूर्व मुखिया** ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि इस तरह के उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। सारे राज्य का कचरा का प्रबंधन यहां होगा, यह न्याय संगत नहीं है। यहां के कचरा का पानी सोन नदी से होकर गंगा नदी में जायेगी। यह कम्पनी यदि स्थापित होती है तो कोइलवर की जनता की लाश पर लगेगी। गैसीय प्रदूषण से स्थानीय जनता प्रभावित होंगे एवं भविष्य में भोपाल गैस त्रासदी की पुनरावृति होगी। अतः किसी भी परिस्थिति में इस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था यहां नहीं बननी चाहिए।

लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय में से अधिकतर लोगों ने प्रस्तावित स्थल पर एकीकृत कचरा प्रबंधन सुविधा की स्थापना का विरोध किया। कुछ ही लोगों ने इसकी स्थापना के लिए सहमति जतायी। सर्वश्री रामके इन्वायरो इंजीनियर्स लि. के सलाहकार प्रभाग के द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तैयार किया गया है। यह सलाहकार प्रभाग National Accreditation Board for Education & Training (NABET) द्वारा ई.आई.ए सलाहकार के रूप में Accredited है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोगों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति के आलोक में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सर्वश्री रामके इन्वायरो इंजीनियर्स लि. द्वारा प्रस्तावित योजना भारत सरकार के टी.ओ.आर. एवं गाइड लाइन्स के अनुरूप होना चाहिए। इस सामूहिक उपचार व्यवस्था के लिए पर्यावरण प्रबंधन की योजना बनायी गयी है। यदि यह व्यवस्था स्थापना के लिए निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुरूप आबादी, रेलवे लाइन, राष्ट्रीय उच्चपथ एवं नदी से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को सुनिश्चित कर स्थापित की जाती है तो इससे पर्यावरण को नुकसान होने की सम्भावना नही होगी। इस उद्योग के आने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो सकता है तथा राज्य के अंदर औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्ट की प्रबंधन की दिशा में एक सार्थक प्रयास होगा। कम्पनी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एव पर्यावरण संरक्षण हेतु बनाई गई पर्यावरणीय प्रबंधन योजना से संबंधित जो प्रस्तुतिकरण किया गया उसके अनुरूप ह व्यवस्था बनाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त जन-प्रतिक्रिया/आक्षेप/सुझाव के उपरांत अध्यक्ष द्वारा लोक-सुनवाई समाप्ति क घोषणा की गयी तथा जन-समुदाय को लोक-सुनवाई में आने के लिए धन्यवाद दिया।

(एस.एन. जायसवाल)
वैज्ञानिक
बि.रा.प्र.नि. पर्षद्, पटना

(नन्द कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियंता
बि.रा.प्र.नि. पर्षद्, पटना

(सुरेश कुमार सिन्हा)
अध्यक्ष
अपर समाहर्त्ता, भोजपुर

...रामके इन्वायरो इंजिनियर्स लि., हैदराबाद द्वारा मौजा-महुई, कोईलवर-बबुरा रोड, जिला-भोजपुर, ...र में "एकीकृत सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, उपचार, भंडारण, निपटान एवं पुनःचक्रण ...विधायें" की स्थापना संबंधित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु "लोक-सुनवाई" गुरूवार, दिनांक 16.10.2014 को 11:00 बजे पूर्वाह्न अम्बिका शरण सिंह उच्च विद्यालय जमालपुर, पोस्ट-नय ...पुर, जिला-भोजपुर में उपस्थित महानुभावों की उपस्थिति विवरणी:-

| | महानुभावों का नाम | पता एवं मोबाईल नं० | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1. | सुरेश कुमार सिन्हा अपर समाहर्ता, भोजपुर। | अपर समाहर्ता, भोजपुर आरा 9473191233 | [signature] 16/10/1[illegible] |
| 2. | शिवाजी सिंह अंचल अधिकारी कोईलवर | अंचल पदाधिकारी कोईलवर 8544412483 | [signature] 16.10.14 |
| 3. | [illegible]न्द कुमार [illegible] | बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना | [signature] 16/10/1 |
| 4. | [illegible] जायसवाल वैज्ञानिक | बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटना | [signature] 16/10/1 |
| 5. | [illegible] नारायण अग्निहोत्री | रामकी इनवायरो लि० | [signature] 16/10 |
| 6. | अखिलेश्वर सिंह प्रधानाध्यापक | अम्बिका शरण सिंह उ० वि० जमालपुर | [signature] 16/10/1 |

| | महानुभावों का नाम | पता एवं मोबाईल नं० (102) | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| | रिंकु प्रसाद ग्राम-चान्दा | ग्राम - चान्दा 9199230999 पंचायत - चान्दा कोइलवर भोजपुर | [signature] |
| | आनन्द कुमार सिंह | ग्राम - पचैना पंचायत - चन्दा मो० नं० - 9308140078 | [signature] |
| 9. | निर्मल सिंह | ग्रा० जमालपुर 9934687591 | [signature] |
| 10. | हरिनारायण तिवारी | ग्राम - जमालपुर | [signature] |
| 11. | [illegible] सिंह | ग्रा. महमदपुर - | [signature] |
| 12. | दयाशंकर तिवारी | महमदपुर | [signature] |
| 13. | दया शंकर सिंह | हरिपुर 7542954931 | दया शंकर सिंह |
| 14. | [illegible] यादव | चान्दा 8521739641 | |

(१०१)

| | महानुभावों का नाम | पता एवं मोबाईल नं० | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| | अनिल कुमार | हरीपुर | [illegible] |
| 16. | पिन्टू कुमार | जमालपुर | [illegible] |
| 17. | विनय कु० गुप्ता | हरीपुर | विनय कु० गुप्ता |
| 18. | [illegible] सिंह | नरही 9334658208 | [illegible] |
| 19. | गंगा तिवारी | नरही | रंगनाथ तिवारी |
| 20. | monu kumar Singh | नरही | ms |
| 21. | Anshu Raj | narhi | Anshu Raj |
| 22. | प्रेम सिंह | ककुरा | प्रेम सिंह |

| महानुभावों का नाम | पता एवं मोबाईल नं० (17) | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| पिंकु लाल | दौलतपुर | पिंकु लाल |
| 24. विकास कुमार | नारायणपुर | विकास कु० |
| 25. पंकज कुमार | नारायणपुर | [illegible] |
| 26. शैलेन्द्र सिंह | पवाँर | शैलेन्द्र |
| 27. कुल नारायण सिंह | नरदी | कुल ना[illegible] |
| 28. Sundesh Kum | ~~[illegible]~~ Jamalpur | Sundesh |
| 29. आरविन्द | ~~[illegible]~~ जमालपुर | आरवि |
| 30. राजेश कुमार | ~~[illegible]~~ जमालपुर | RK |

| महानुभावों का नाम | पता एवं मोबाईल नं० (99) | हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| रविनेश कुमार सिंह | जमालपुर | रविनेश कुमार |
| 32. सुनील सिंह | सेमरा | Sunil Sin |
| 33. धनश्याम सिंह | सेमरा | [illegible] |
| 34. Pinkashkumar | जमालपुर | पिंकश |
| 35. अनुज उपाध्याय | जमालपुर | [illegible] |
| 36. राम प्रकाश सिंह | // | [illegible] |
| 37. विकास कुमार | चनपुरा | vikas kum |
| 38. रोहित कुमार | चनपुरा | Rohit Ku |

| | महानुभावों का नाम | पता एवं मोबाईल नं० (58) | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| | सुशील कुमार | [illegible] चन्दा | Sushil Kumar |
| 40. | रंजीत कुमार रंजन | पुराना हरिपुर 9931359859 | [illegible] |
| 41. | [illegible] प्रसाद कुशवाहा | ग्राम पो० पुराना हरिपुर 9097904356 | B.P. Kushwa |
| 42. | Sunil Kumar Sinha | Ambika Sharan Singh [illegible] School Teacher 9097581313 | Sunil |
| 43. | [illegible] | [illegible] | |
| 44. | महेश कुमार [illegible] | जमालपुर | महेश |
| 45. | मुकेश प्रसाद चन्द्रवंशी | ग्राम- नया हरिपुर | मुकेश प्र |
| 46. | मिथलेश सिंह | चन्द्रपुरा | मिथलेश सिंह |

| | महानुभावों का नाम | पता एवं मोबाईल नं० (57) | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| | Vijay Kumar gupta | Vill- Jamalpur<br>MO - 9097115050 | Vijay Kumar gupta |
| 48. | Dipu Singh | CHANPURA | [signature] |
| 49. | Prince Kumar Singh | Jamalpur<br>9097765144 | Prince Kumar Sin |
| 50. | मुकेश कु० सिंह | ग्राम जमालपुर | MUKC |
| 51. | Akhilesh Kumar | Jamalpur | [signature] |
| 52. | RAHUL KUMAR | Vill+Po - NAya mohamadpur | Rahul K |
| 53. | Sanjeev Kr. Nirmal arma | vill+po:— Naya mohammadpur | Sanjeev |
| 54. | श्यामा [illegible] सिंह | [illegible] | [illegible] |

| क्र. | महानुभावों का नाम | पता एवं मोबाईल नं० (56) | हस्त |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | कामता प्रसाद | महादेवचक लेमरियाँ | कामता प्र |
| 56. | नन्द किशोर | हीमदपुर | नन्द कि |
| 57. | हरिशंकर सिंह | नारायणपुर | हरिश |
| 58. | रामपुजन पंडित | महमदपुर | रामपु |
| 59. | अमरजीत कुमार सिंह | जमालपुर | Amarjit Kum |
| 60. | छोटु सिंह | जमालपुर | [illegible] |
| 61. | [illegible] सिंह | जमालपुर | [illegible] |
| 62. | सुरज कुमार | पुरखा हरिपुर | [illegible] |

| | महानुभावों का नाम | पता एवं मोबाईल नं० (95) | हस्ताक्ष |
|---|---|---|---|
| | Ashish Kumar | Jamalpur | [illegible] |
| 64. | डि मनोज कुमार तिवारी | बखुरा | MH |
| 65. | आशीष कुमार | [illegible] | [illegible] |
| 66. | सुनील सिंह | बखुरा | SH सिंह |
| 67. | सुरेश सिंह | बखुरा | सुरेश सिं |
| 68. | संतोष कुमार सिंह | बखुरा | संतोष कुमार सि |
| 69. | राधे कृष्ण सिंह | बखुरा | राधे कृष्ण |
| 70. | कमल किशोर | बखुरा | Kamal Kis |

| | महानुभावों का नाम | पता एवं मोबाईल नं० (पुं) | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 71. | सरोज सिंह | PCSCL | सरोज [illegible] |
| 72. | मनोज सिंह | बकुरा | [illegible] |
| 73. | [illegible] प्रसाद | मदनगढ पुर | [illegible] |
| 74. | दिलरंजन सिंह | डोकरिया | [illegible] |
| 75. | रामकिशुन सिंह (व्यापारी) | पचेना बाजार | रामकिशुन [illegible] |
| 76. | डॉ. के श्रीनिवास | हेड, टेकनिकल | रामकिशुन [illegible] [illegible] |
| 77. | संजीव कुमार | Ramky EEL Delhi 9810265282 | [illegible] |
| 78. | शिवेश चन्द्र | Ramky. EEL Delhi 8506000315 | [illegible] |

| क्र. | महानुभावों का नाम | पता एवं मोबाईल नं० | |
|---|---|---|---|
| 79. | राहुल कुमार | Ramky EEL Bangalore 9686052211 | [illegible] |
| 80. | [illegible] | [illegible] 9472460864 | [illegible] |
| 81. | Shashi B. Pandit | Vill.+P.O. - Jogta, via Narhi-chandi, Dist-Bhojpur Cell No. 09968413109 | [illegible] |
| 82. | Gauri Shankar Sharma | V. - Narayanpur P.O. - Daulatpur, Bhoj. Signature above and below Symbol of Presentation and not a token for an[illegible] | [illegible] |
| 83. | [illegible] प्रसाद | [illegible] थाना - कोइलवर भोजपुर | [illegible] |
| 84. | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 85. | Brijanand Singh | Village - Jamalpur P.O. Naya Matmalpur P/S Koilwar 9304507461 | [illegible] |
| 86. | राज [illegible] | [illegible], कोइलवर भोजपुर | [illegible] |

| | महानुभावों का नाम | पता एवं मोबाईल नं० (92) | हस्ताक्ष |
|---|---|---|---|
| 87. | Sonu Kumar Roy | [illegible] - Punta P.S. [illegible] Dist - [illegible] | Sonu Kr [illegible] |
| 88. | Thakur Bhagwan | Vill - Narayan pur. P-O - Daulat pur Bhojpur (Arrah) यह हस्ताक्षर उपस्थिति के लिए है सहमती नहीं है। | [illegible] |
| 89. | Binay Singh | Vill - Jamalpur P.O - Nayamohammadpur I am agree with company. | [illegible] |
| 90. | Abheshak kumar | vill - Jamalpur | Ables[illegible] |
| 91. | Badshah Makar | Naya Moh. pur P.S Koilwar Bhojpur. | Badsha Makar |
| 92. | गोपाल कृष्ण | जमालपुर | [illegible] |
| 93. | [illegible] सिंह | [illegible] पुर | [illegible] |
| 94. | रामजीता राय | दौलत पुर (कोईलवर) | [illegible] |

| | महानुभावों का नाम | पता एवं मोबाईल नं० | हस्त… |
|---|---|---|---|
| 95. | प्रमोद कुमार सिंह | अजय नगर, आरा 7070716871 | प्रमोद कुमार |
| 96. | [illegible] | [illegible], आरा | [illegible] |
| 97. | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 98. | उदय शंकर यादव | अनायतनगर आरा 8877853797 | उदय श… |
| 99. | राजेन्द्र राय | ग्राम - मनपुरा 9471211194 | राजेन्द्र |
| 100. | Kush Kumar Singh | Chamal pura. 9953909658. | [illegible] |
| 101. | Rabindra Kumar Manglam | Semariya, Haripur, Bhojpur 9430874075 | [illegible] |
| 102. | आशिष रंजन | नारायणपुर मो०नं०-8092774050 | आशिष |

# पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ संघर्ष मोर्चा

पत्रांक– 21-27-1
दिनांक– 27/10/2

Chairman's Confidential Section
Dy. No. 695
Date 5.11.2014

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
शास्त्री नगर, पटना-23
27 OCT 2014
प्राप्त किया
0539

सेवा में

अध्यक्ष
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,
पटना–23.

विषय: कोईलवर बबूरा रोड, भोजपुर अंतर्गत सोन नदी व बिहटा क्षेत्र, पटना समीप कोईलवर व बिहटा के रिहायसी इलाके में परिसंकटमय जहरीले कचरे के भस्मीकरण, भंडारण एवं निपटान कारखाना के प्रस्ताव के संदर्भ में

महाशय,

उपरोक्त विषय में हम आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहते है कि भारत सरकार के पर्यावरण विशेषज्ञ आकलन समिति ने अपने 118 वें बैठक में रामके एनवायरों इंनजियरर्स लिमिटेड हैदराबाद की अनुभागी कंपनी बिहार टेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के लिए रामके एनवायरों इंनजियरर्स लिमिटेड के द्वारा ही तैयार की गई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) पर विचार करने के उपरान्त इस कारखाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

इस कारखाने के संबंध में 6 सितंबर, 2014 को प्रभात खबर अखबार में 16 अक्टुबर, 2014 को होने वाले जन सुनवाई का नोटिस छपा था। इसे संज्ञान में लेकर पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ संघर्ष मोर्चा, का गठन किया गया। मोर्चा ने रामके

- कंपनी ने प्रस्तावित जमीन के करीब मौजुद रिहायसी इलाकों, विद्यालयों, अस्पतालों, C.R.P.F कैंप जल स्त्रोंतो आदि का खुलासा नहीं किया हैं।
- कंपनी के रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया गया है कि कारखाना प्रस्तावित जमीन अदालत में विचाराधीन है।
- इस कारखाने का दुश्प्रभाव कम से कम 10 किलोमिटर क्षेत्र पर पड़ेगा। यह तथ्य वैज्ञानिक एवं चिकित्सा शास्त्र के शोध से उजागर हुआ है जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले मे उधृत किया गया है।
- इस कारखाने से डायोक्सीन और पारा का उत्सर्जन हेगा। डायोक्सीन का रासायनिक हथियारों के रूप में प्रयोग अमेरिका द्वारा वियतनाम के खिलाफ 1959.75 के दौरान किया गया। इसके दुश्परिणाम अभी भी जारी है।
- कंपनी द्वारा तैयार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है कि कारखाने का पर्यावरण व स्वास्थ्य पर पडने वाले भयंकर दुश्प्रभाव का आकलन उसने खुद किया है, किसी स्वतंत्र संस्था ने नहीं। इससे प्रमाणित होता है कि कंपनी ने कारखाने से होने वाले नुकसान को कम कर के आंका है। कंपनी द्वारा तैयार रिपोर्ट के कार्यकारी सारांश से यह उजागर होता है कि कारखाने से जहरीले गैसों का उत्सर्जन होगा।
- राम्के कंपनी के पर्यावरण मूल्यांकलन आकलन रिपोर्ट के 12 पृष्ठ के सारांश से पता चलता हैं कि कारखाने से ऐसी जहरीली रासायनिक गैसों का उत्सर्जन होगा जिसे टेस्ट करने का प्रयोगशाला बिहार राज्य प्रदुश्षण नियंत्रण बोर्ड के पास नहीं है। इसे 16 अक्टुबर, 2014 के जनसुनवाई के दौरान बोर्ड के अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया। मगर यह दावा किया गया कि इसका टेस्ट और मानीटारींग केंन्द्रीय प्रदुश्षण नियंत्रण बोर्ड करेगा। तथ्य यह है कि केन्द्रीय बौर्ड का प्रयोगशाला अक्टूबर 2013 से ही बन्द पड़ा है जिसे नेशनल ग्रीन ट्राइबुनल के समक्ष स्वीकार किया गया है।

(४७)

एनवायरों इंनजियरर्स लिमिटेड के द्वारा ही तैयार की गई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) रिपोर्ट पर विचार किया।

हम आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहते है कि 16 अक्टुबर, 2014 के लोक सुनवाई में उपस्थित सैकडों ग्रामीणों ने रैमके कंपनी द्वारा प्रस्तावित कारखाना का विरोध किया व कारखाने के प्रस्ताव को खारिज किया क्योकि यह एक स्थापित वैज्ञानिक सत्य है कि ऐसे परिसंकटमय जहरीले कचरा कारखाने से लाइलाज रोगों का शिकार होना पड़ता है। हमलोग इस लोक सुनवाई में उपस्थित थे।

हमलोग पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ संघर्ष मोर्चा के तरफ़ से प्रस्तावित कारखाने से होने वाले निम्नलिखित नुकसान को आपके संज्ञान में लाना चाहते है:–

- इस कारखाने से जल प्रदुषण, वायु प्रदुषण और भोजन श्रृंखला प्रदुषण होता है। इस 'कारखानें में बिहार के 18 जिलों से 99 कारखानों का जहरीला कचरा आयेगा जिसकी संख्या भविष्य में निंरतर बढ़ती जाएगी। इसके अलावा यहाँ हजारों अस्पतालों का कचरा भी लाया जाएगा।
- कारखाना सोन नदी के पेट में प्रस्तावित हैं।
- कारखाने का इलाका बाढ ग्रस्त क्षेत्र है जिसका खुलासा कंपनी के रिपोर्ट में नहीं किया गया हैं। दुसरें जिलों के कारखानों व अस्पतालों का कचरा सोन नदी व शिहायरी इलाके में लाने का कोई तर्क संगत व न्याय संगत औचित्य नहीं है।
- कारखाना के प्रस्तावक ने यह खुलासा नहीं किया है कि कारखाने की प्रस्तावित जमीन महुई मौजा, प्लॉट न0.401 बिहटा और कोईलवर के तटबंधों के बीच में स्थित है। जो की प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। इससे भोपाल गैस कांड जैसी घटना हो सकती है।
- कारखाना कोईलवर क्षेत्र, भोजपुर व बिहटा क्षेत्र, पटना को जहरीले गैसों से प्रभावित करेगा।

(87)

हम आपके संज्ञान में यह तथ्य भी लाना चाहते है कि सोन नदी के पेट में इस प्रकार की परियोजना से वर्तमान और भविष्य की पीढियों को गंभीर जन स्वास्थ्य की समस्याओं से जुझना पड़ेगा क्योकि इस प्रकार के कारखाने से जल प्रदुषण तथा वायु प्रदुषण एवं भोजन श्रृंखला प्रदुषण होता है।

अत: हम आपसे निवेदन करते है कि ऐसे कारखाने के निर्माण को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करे ओर हमें गले का कैंसर, फेफडें का कैंसर, पेट का कैंसर, मल द्वार का कैंसर आदि खतरों से बचायें। ऐसा करके आप कोईलवर और बिहटा को भोपाल गैस कांड जैसी घटना से बचा सकते है और इस क्षेत्र को कचरा जनित रोगों की राजधानी बनने से रोक सकते हैं।

सधन्यवाद।

आपका विश्वासी

गोपाल कृष्ण
पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ संघर्ष मो-
जमालपुर, कोईलवर, भोजपुर
मो: 8227816731

(87)

हम आपके संज्ञान में यह तथ्य भी लाना चाहते है कि सोन नदी के पेट में इस प्रकार की परियोजना से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को गंभीर जन स्वास्थ्य की समस्याओं से जुझना पड़ेगा क्योकि इस प्रकार के कारखाने से जल प्रदुषण तथा वायु प्रदुषण एवं भोजन श्रृंखला प्रदुषण होता है।

अत: हम आपसे निवेदन करते है कि ऐसे कारखाने के निर्माण को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करे ओर हमें गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पेट का कैंसर, मल द्वार का कैंसर आदि खतरों से बचायें। ऐसा करके आप कोईलवर और बिहटा को भोपाल गैस कांड जैसी घटना से बचा सकते है और इस क्षेत्र को कचरा जनित रोगों की राजधानी बनने से रोक सकते हैं।

सधन्यवाद।

आपका विश्वासी

गोपाल कृष्ण
पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ संघर्ष मं
जमालपुर, कोईलवर, भोजपुर
मो: 8227816731

भोजपुर समाहरणालय, आरा।
(सामान्य प्रशाखा)

(86) 57

पत्रांक :– 2598 /सा0,

प्रेषक,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य प्रशाखा,
भोजपुर, आरा ।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता, भोजपुर, आरा ।
अनुमंडल पदाधिकारी सदर आरा ।
अंचलाधिकारी, कोईलवर ।

आरा, दिनांक 11 वी अक्टूबर 2014

विषय – सर्वश्री रामके इन्वायरो इंजिनियर्स लि0 हैदराबाद का अनुभाग सर्वश्री बिहार अपशिष्ट प्रबंधन लि0 द्वारा मौजा–महुई, कोईलवर–बबुरा रोड, जिला– भोजपुर, बिहार के खाता नं0 –69, अंश–68/2, 67/3, थाना–107 में एकीकृत सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, उपचार, भंडारण, निपटान एवं पुनःचक्रण सुविधायें की स्थापना हेतु पर्यावणीय स्वीकृति से पूर्व लोक–सुनवाई के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, बिहार, पटना के पत्र सं0 टी–9866, पटना, दिनांक 08.09.2014 के आलोक में एकीकृत सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, उपचार, भंडारण, निपटान एवं पुनःचक्रण सुविधायें की स्थापना हेतु पर्यावणीय स्वीकृति से पूर्व दिनांक 16.10.2014 को 11.00 बजे पूर्वा0 में अम्बिका शरण सिंह, उच्च विद्यालय जमालपुर, पोस्ट–नया महमदपुर, जिला– भोजपुर में आहूत लोक–सुनवाई में भाग लेने हेतु अपर समाहर्त्ता, भोजपुर को प्राधिकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सदर आरा को पर्याप्त पुलिस बल के साथ सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निदेश दिया गया है साथ ही जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा अंचलाधिकारी कोईलवर को निदेश दिया गया है कि उक्त सुनवाई कार्यक्रम का अपने स्तर से ग्रामीणों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करायेंगे।

अतः अनुरोध है कि जिला पदाधिकारी, भोजपुर के उपरोक्त निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए ।

अनुलग्नक :– सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पत्रांक टी–9866, पटना, दिनांक 08.09.2014 एवं सलग्न अनुलग्नकों की छायाप्रति ।

विश्वासभाजन

11/10/14

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य प्रशाखा,
भोजपुर, आरा ।

ज्ञापांक 2598 /सा0, दिनांक 11/10/2014

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, बिहार, पटना के पत्र सं0 टी–9866, पटना, दिनांक 08.09.2014 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/10/14

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य प्रशाखा,
भोजपुर, आरा ।

# बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (83)

## बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना-800 023

पत्रांक-पी.टी.-04-014/12/पार्ट2 अतिआवश्यक पटना, दिनांक:-

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा.व.से,

सदस्य-सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

भोजपुर।

विषय:- सर्वश्री रामके इन्वायरो इंजिनियर्स लि., हैदराबाद का अनुभाग सर्वश्री बिहार अपशिष्ट प्रबंधन लि. द्वारा मौजा-महुई, कोईलवर-बबुरा रोड, जिला-भोजपुर, बिहार के खाता नं0-69, अंश- 68/2, 67/3, थाना-107 में ''एकीकृत सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, उपचार, भंडारण, निपटान एवं पुनःचक्रण सुविधायें''की स्थापना हेतु पर्यावणीय स्वीकृति से पूर्व लोक-सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण (संरक्षण) 1986 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरणीय 'प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006' अनुसार भोजपुर जिला के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना के प्रभाव क्षेत्र के लोगों के लिए लोक-सुनवाई दिनांक-16.10.2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अम्बिका शरण सिंह उच्च विद्यालय जमालपुर, पोस्ट-नया महमदपुर, जिला-भोजपुर में आहूत की गयी है। लोक-सुनवाई से संबंधित सूचना की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

विदित हो कि पर्यावरणीय 'प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006' के तहत लोक-सुनवाई की कार्रवाई जिला पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि (अपर जिला समाहर्त्ता स्तर से कम नहीं) की अध्यक्षता में सम्पन्न करानी जानी है।

अत: वर्णित लोक-सुनवाई अपनी अध्यक्षता में सम्पन्न कराने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राकेश कुमार)

संलग्न: यथा उपरोक्त। सदस्य-सचिव।

पटना, दिनांक:-

ज्ञापांक:-

प्रतिलिपि:-प्रधानाध्यपक, अम्बिका शरण सिंह उच्च विद्यालय जमालपुर, पोस्ट-नया महमदपुर, जिला-भोजपुर-802163 को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिनांक-16.10.2014 (गुरूवार) को अपने विद्यालय प्रांगण में उक्त लोक-सुनवाई आयोजित करने सहमति प्रदान करने का कृष्ट करें। उक्त आशय की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर को भी प्रेषित की जा रही है।

ह0/-

(राकेश कुमार)

सदस्य-सचिव।

पटना, दिनांक:-

ज्ञापांक:-

प्रतिलिपि:-जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राकेश कुमार)

सदस्य-सचिव।

पटना, दिनांक:- 08/9/14

ज्ञापांक:- T-9866

प्रतिलिपि:-M/s Ramky Enviro Engineers Limited, Ramky Grandiose-13th Floor, Ramky Towers Complex, Gachibowli, Hyuderabad-500032 for information and necessary action.

8.9.14

(राकेश कुमार)

सदस्य-सचिव।

# बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

BIHAR

बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना-800 023

दूरभाष नं0-0612-2281250/2282265, फैक्स-0612-2281050

वेबसाईट-http://bspcb.bih.nic.in.

ज्ञापांक-पी.सी.बी.-04-014/12/पार्ट2 अतिआवश्यक पटना, दिनांक:-

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा.व.से,
सदस्य-सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर।

विषय: -सर्वश्री रामके इन्वायरो इंजिनियर्स लि., हैदराबाद का अनुभाग सर्वश्री बिहार अपशिष्ट प्रबंधन लि. द्वारा मौजा-महुई, कोईलवर-बबुरा रोड, जिला-भोजपुर, बिहार के खाता नं0-69, अंश- 68/2, 67/3, थाना-107 में "एकीकृत सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, उपचार, भंडारण, निपटान एवं पुन:चक्रण सुविधायें" की स्थापना हेतु पर्यावणीय स्वीकृति से पूर्व लोक-सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण (संरक्षण) 1986 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरणीय 'प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006' अनुसार भोजपुर जिला के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना के प्रभाव क्षेत्र के लोगों के लिए लोक-सुनवाई दिनांक-16.10.2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अम्बिका शरण सिंह उच्च विद्यालय जमालपुर, पोस्ट-नया महमदपुर, जिला-भोजपुर में आहूत की गयी है। लोक-सुनवाई से संबंधित सूचना की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

विदित हो कि पर्यावरणीय 'प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006' के तहत लोक-सुनवाई की कार्रवाई जिला पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि (अपर जिला समाहर्त्ता स्तर से कम नहीं) की अध्यक्षता में सम्पन्न करानी जानी है।

अत: वर्णित लोक-सुनवाई अपनी अध्यक्षता में सम्पन्न कराने की कृपा की जाये।

संलग्न: यथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/-
(राकेश कुमार)
सदस्य-सचिव।

पटना, दिनांक:-

ज्ञापांक:-

प्रतिलिपि: प्रधानाध्यपक, अम्बिका शरण सिंह उच्च विद्यालय जमालपुर, पोस्ट-नया महमदपुर, जिला-भोजपुर-802163 को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिनांक-16.10.2014 (गुरूवार) को अपने विद्यालय प्रांगण में उक्त लोक-सुनवाई आयोजित करने सहमति प्रदान करने का कृष्ट करें। उक्त आशय की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर को भी प्रेषित की जा रही है।

ह0/-
(राकेश कुमार)
सदस्य-सचिव।

पटना, दिनांक:- 08/9/14

ज्ञापांक:- 7-9866

प्रतिलिपि:-जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राकेश कुमार)
सदस्य-सचिव।

(81)

पटना, 6 सितंबर 2014 दैनिक जागरण

# लोक सुनवाई की सूचना

सर्वश्री रामके इन्वायरो इंजिनियर्स लि., हैदराबाद का अनुभाग सर्वश्री बिहार अपशिष्ट प्रबंधन लि. द्वारा मौजा-महुई, कोईलवर-बड़ुरा रोड, जिला-भोजपुर, बिहार के खाता नं०-69, अंश-68/2, 67/3, थाना-107 के 57.24 एकड़ में "एकीकृत सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, उपचार, भंडारण, निपटान एवं पुन:चक्रण सुविधायें" की स्थापना का प्रस्ताव है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 के आलोक में प्रस्तावित योजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया /सुझाव प्राप्त करने हेतु लोक-सुनवाई किया जाना है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के विशेषज्ञ आकलन समिति(ई.ए.सी.) के पर्यावरणीय विचारों (टी.ओ.आर.) के आलोक में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें संभावित प्रदूषण के कुप्रभावों को नियंत्रित करने हेतु उपाये दर्शाये गये है।

इस एकीकृत सुविधा के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट, जीव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई.-अपशिष्ट, कागज एवं प्लास्टिक अपशिष्ट, लेड एसीड बैटरी अपशिष्ट आदि के संग्रहण, परिवहन, भंडारण, उपचार, पुन:चक्रण एवं निपटान की सुविधा स्थापित की जायेगी। इसमें प्रथम चरण में भूमि-भरण सुविधा औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट का उपचार-स्टेबलाईजेशन टी.पी.ए.) जीव-चिकित्सा अपशिष्टों का उपचार एवं निपटान तथा ई-अपशिष्ट के पुन:चक्रण एवं निपटान की सुविधा विकसित की जायेगी। द्वितीय चरण में भष्मीकरण, उपयोगित तेल का पुन:चक्रण एवं सफाई, उपयोगित लेड एसीड बैटरी का पुन:चक्रण, प्लास्टिक अपशिष्ट का पुन:चक्रण, कागज अपशिष्ट का पुन:चक्रण आदि एवं तृतीय चरण में कचरों से ऊर्जा (2 मेगावाट) तथा रिन्यूवेबल(नवीकरणीय) ऊर्जा (2 मेगावाट) उत्पादन की सुविधा 248.67 करोड़ की लागत से स्थापित की जायेगी।

इसके लिए कुल 1500 किलोवाट ऊर्जा की तथा 423 किलोलीटर प्रतिदिन भू-गर्भीय जल की आवश्यकता होगी। जिससे कुल 80 किलोलीटर प्रतिदिन बहिस्राव जनित होंगे। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में पल्टीसाइक्लोन, बैगहाउस तथा वेट स्क्रबर लगाये जायेंगे। लीचेट एवं दूषित बहिस्राव के उपचार हेतु व्यवस्था भी करने का प्रस्ताव है।

इस परियोजना का ई.आई.ए. प्रतिवेदन तथा कार्यकारी सारांश प्रतिवेदन इस पर्षद्, मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, भोजपुर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर एवं जिला परिषद्, भोजपुर के कार्यालय में उपलब्ध है। परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्ति, अपना सुझाव/प्रतिक्रिया, प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के अंदर पर्षद् को उपलब्ध करा सकते हैं।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के लोगों के लिए लोक-सुनवाई दिनांक-16-10-2014 (गुरूवार) को 11.00 दिन में अम्बिका शरण सिंह उच्च विद्यालय जमालपुर, पोस्ट-नया महमदपुर, जिला-भोजपुर में आहूत किया गया है। सभी संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक-सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव/प्रतिक्रिया से लाभांवित करने का कष्ट करें।

सदस्य-सचिव

**बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्**

बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना-800 023

दूरभाष नं०-0612-2281250/2282265, फैक्स-0612-2281060

वेबसाईट-http://bspcb.bih.nic.in.

(8)

THE TIMES OF INDIA, PATNA
SATURDAY, SEPTEMBER 6, 2014

# लोक-सुनवाई की सूचना

सर्वश्री रामके इन्फ्रास्ट्रो इंजिनियर्स लि., हैदराबाद का अनुभाग सर्वश्री बिहार अपशिष्ट प्रबंधन लि. द्वारा मौजा–महुई, कोईलवर–बबुरा रोड, जिला–भोजपुर, बिहार के खाता नं0–69, अंश–68/2, 67/3, थाना–107 के 57.24 एकड में "एकीकृत सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, उपचार, भंडारण, निपटान एवं पुनःचक्रण सुविधायें" की स्थापना का प्रस्ताव है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 के आलोक में प्रस्तावित योजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया/सुझाव प्राप्त करने हेतु लोक–सुनवाई किया जाना है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के विशेषज्ञ आकलन समिति (ई.ए.सी.) के पर्यावरणीय विचारों (टी.ओ.आर.) के आलोक में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें संभावित प्रदूषण के कुप्रभावों को नियंत्रित करने हेतु उपाये दर्शाये गये हैं।

इस एकीकृत सुविधा के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट, जीव–चिकित्सा अपशिष्ट, ई–अपशिष्ट, कागज एवं प्लास्टिक अपशिष्ट, लेड एसीड बैटरी अपशिष्ट आदि के संग्रहण, परिवहन, भंडारण, उपचार, पुनःचक्रण एवं निपटान की सुविधा स्थापित की जायेगी। इसमें प्रथम चरण में भूमि भरण सुविधा औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट का उपचार–स्टेबलाईजेशन टी.पी.ए.) जीव–चिकित्सा अपशिष्टों का उपचार एवं निपटान तथा ई–अपशिष्ट के पुनःचक्रण एवं निपटान की सुविधा विकसित की जायेगी। द्वितीय चरण में भष्मीकरण, उपयोगित तेल का पुनःचक्रण एवं सफाई, उपयोगित लेड एसीड बैटरी का पुनःचक्रण, प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रण, कागज अपशिष्ट का पुनःचक्रण आदि एवं तृतीय चरण में कचरों से ऊर्जा (2 मेगावाट) तथा रिन्यूनेवल (नवीकरणीय) ऊर्जा (2 मेगावाट) उत्पादन की सुविधा 248.67 करोड की लागत से स्थापित की जायेगी।

इसके लिए कुल 1500 किलोवाट ऊर्जा की तथा 423 किलोलीटर प्रतिदिन भू–गर्भीय जल की आवश्यकता होगी। जिससे कुल 80 किलोलीटर प्रतिदिन बहिस्राव जनित होगे। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टीसाइक्लोन, बैगहाऊस तथा वेट स्क्रबर लगाये जायेंगे। लीचेट एवं दूषित बहिस्राव के उपचार हेतु व्यवस्था भी करने का प्रस्ताव है।

इस परियोजना का ई.आई.ए. प्रतिवेदन तथा कार्यकारी सारांश प्रतिवेदन इस पर्षद, मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, भोजपुर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र भोजपुर एवं जिला परिषद, भोजपुर के कार्यालय में उपलब्ध है। परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्ति, अपना सुझाव/प्रतिक्रिया प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के अंदर पर्षद को उपलब्ध करा सकते हैं।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के लोगों के लिए **लोक–सुनवाई दिनांक–10.10.2014** (गुरूवार) को 11.00 दिन में अम्बिका शरण सिंह उच्च विद्यालय जगदीशपुर, पोस्ट–नया महमदपुर, जिला–भोजपुर में आहूत किया गया है। सभी संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक–सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव/प्रतिक्रिया से लभावित करने का कष्ट करें।

सदस्य–सचिव

**बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद**
बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना – 800 023
दूरभाष नं0–0612–2281250/2282265, फैक्स–0612–2281050
वेबसाईट–http://bspcb.bih.nic.in

BIHAR

प्रभात खबर
पटना, शनिवार, 6 सितंबर, 2014
www.prabhatkhabar.com

# लोक–सुनवाई की सूचना

सर्वश्री रामके इन्फ्रायरो इंजिनियर्स लि., हैदराबाद का अनुभाग सर्वश्री बिहार अपशिष्ट प्रबंधन लि. द्वारा मौजा–महुई, कोईलवर–बबुरा रोड, जिला–भोजपुर, बिहार के खाता नं0–69, अंश–68/2, 67/3, थाना–107 के 57.24 एकड में "एकीकृत सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, उपचार, भंडारण, निपटान एवं पुनःचक्रण सुविधायें" की स्थापना का प्रस्ताव है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 के आलोक में प्रस्तावित योजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया/सुझाव प्राप्त करने हेतु लोक–सुनवाई किया जाना है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के विशेषज्ञ आकलन समिति (ई.ए.सी.) के पर्यावरणीय विचारों (टी.ओ.आर.) के आलोक में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें संभावित प्रदूषण के कुप्रभावों को नियंत्रित करने हेतु उपाये दर्शाये गये हैं।

इस एकीकृत सुविधा के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट, जीव–चिकित्सा अपशिष्ट, ई–अपशिष्ट, कागज एवं प्लास्टिक अपशिष्ट, लेड एसीड बैटरी अपशिष्ट आदि के संग्रहण, परिवहन, भंडारण, उपचार, पुनःचक्रण एवं निपटान की सुविधा स्थापित की जायेगी। इसमें प्रथम चरण में भूमि भरण सुविधा औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट, उपचार–स्टेबलाईजेशन टी.पी.ए.) जीव–चिकित्सा अपशिष्टों का उपचार एवं निपटान तथा ई–अपशिष्ट के पुनःचक्रण एवं निपटान की सुविधा विकसित की जायेगी। द्वितीय चरण में भष्मीकरण, उपयोगित तेल का पुनःचक्रण एवं सफाई, उपयोगित लेड एसीड बैटरी का पुनःचक्रण, प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रण, कागज अपशिष्ट का पुनःचक्रण आदि एवं तृतीय चरण में कचरों से ऊर्जा (2 मेगावाट) तथा रिन्यूनेवल (नवीकरणीय) ऊर्जा (2 मेगावाट) उत्पादन की सुविधा 248.67 करोड की लागत से स्थापित की जायेगी।

इसके लिए कुल 1500 किलोवाट ऊर्जा की तथा 423 किलोलीटर प्रतिदिन भू–गर्भीय जल की आवश्यकता होगी। जिससे कुल 80 किलोलीटर प्रतिदिन बहिस्राव जनित होगे। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टीसाइक्लोन, बैगहाऊस तथा वेट स्क्रबर लगाये जायेंगे। लीचेट एवं दूषित बहिस्राव के उपचार हेतु व्यवस्था भी करने का प्रस्ताव है।

इस परियोजना का ई.आई.ए. प्रतिवेदन तथा कार्यकारी सारांश प्रतिवेदन इस पर्षद, मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, भोजपुर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर एवं जिला परिषद, भोजपुर के कार्यालय में उपलब्ध है। परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्ति, अपना सुझाव/प्रतिक्रिया प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के अंदर पर्षद को उपलब्ध करा सकते हैं।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के लोगों के लिए **लोक–सुनवाई दिनांक–10.10.2014** (गुरूवार) को 11.00 दिन में अम्बिका शरण सिंह उच्च विद्यालय जगदीशपुर, पोस्ट–नया महमदपुर, जिला–भोजपुर में आहूत किया गया है। सभी संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक–सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव/प्रतिक्रिया से लभावित करने का कष्ट करें।

सदस्य–सचिव

**बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद**
बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना–800 023
दूरभाष नं0–0612–2281250/2282265, फैक्स–0612–2281050
वेबसाईट–http://bspcb.bih.nic.in

BIHAR

(२७)

पटना, 6 सितंबर 2014 दैनिक जागरण

# लोक सुनवाई की सूचना

सर्वश्री रामके इन्वायरो इंजिनियर्स लि., हैदराबाद का अनुभाग सर्वश्री बिहार अपशिष्ट प्रबंधन लि. द्वारा मौजा-महुई, कोईलवर-बबुरा रोड, जिला-भोजपुर, बिहार के खाता नं०-69, अंश-68/2, 67/3, थाना-107 के 57.24 एकड़ में "एकीकृत सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, उपचार, भंडारण, निपटान एवं पुन:चक्रण सुविधायें" की स्थापना का प्रस्ताव है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 के आलोक में प्रस्तावित योजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया /सुझाव प्राप्त करने हेतु लोक-सुनवाई किया जाना है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के विशेषज्ञ आकलन समिति(ई.ए.सी.) के पर्यावरणीय विचारों (टी.ओ.आर.) के आलोक में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें संभावित प्रदूषण के कुप्रभावों को नियंत्रित करने हेतु उपाये दर्शायें गये हैं।

इस एकीकृत सुविधा के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट, जीव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई.-अपशिष्ट, कागज एवं प्लास्टिक अपशिष्ट, लेड एसीड बैटरी अपशिष्ट आदि के संग्रहण, परिवहन, भंडारण, उपचार, पुन:चक्रण एवं निपटान की सुविधा स्थापित की जायेगी। इसमें प्रथम चरण में भूमि-भरण सुविधा औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट का उपचार-स्टेबलाईजेशन टी.पी.ए.) जीव-चिकित्सा अपशिष्टों का उपचार एवं निपटान तथा ई-अपशिष्ट के पुन:चक्रण एवं निपटान की सुविधा विकसित की जायेगी। द्वितीय चरण में भष्मीकरण, उपयोगित तेल का पुन:चक्रण एवं सफाई, उपयोगित लेड एसीड बैटरी का पुन:चक्रण, प्लास्टिक अपशिष्ट का पुन:चक्रण, कागज अपशिष्ट का पुन:चक्रण आदि एवं तृतीय चरण में कचरों से ऊर्जा (2 मेगावाट) तथा रिन्यूनेबल(नवीकरणीय) ऊर्जा (2 मेगावाट) उत्पादन की सुविधा 248.67 करोड़ की लागत से स्थापित की जायेगी।

इसके लिए कुल 1500 किलोवाट ऊर्जा की तथा 423 किलोलीटर प्रतिदिन भू-गर्भीय जल की आवश्यकता होगी। जिससे कुल 80 किलोलीटर प्रतिदिन बहिस्राव जनित होंगे। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टीसाइक्लोन, बैगहाउस तथा वेट स्क्रबर लगाये जायेंगे। लीचेट एवं दूषित बहिस्राव के उपचार हेतु व्यवस्था भी करने का प्रस्ताव है।

इस परियोजना का ई.आई.ए. प्रतिवेदन तथा कार्यकारी सारांश प्रतिवेदन इस पर्षद्, मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, भोजपुर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर एवं जिला परिषद्, भोजपुर के कार्यालय में उपलब्ध है। परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्ति, अपना सुझाव/प्रतिक्रिया, प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के अंदर पर्षद् को उपलब्ध करा सकते हैं।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के लोगों के लिए लोक-सुनवाई दिनांक-**16-10-2014** (गुरुवार) को **11.00** दिन में अम्बिका शरण सिंह उच्च विद्यालय जमालपुर, पोस्ट-नया महमदपुर, जिला-भोजपुर में आहूत किया गया है। सभी संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक-सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव/प्रतिक्रिया से लाभांवित करने का कष्ट करें।

सदस्य-सचिव

BIHAR

**बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद**

बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना-800 023

दूरभाष नं०-0612-2281250/2282265, फैक्स-0612-2281050

वेबसाईट-http://bspcb.bih.nic.in.

Public Hearing after the clearance given by Ministry of Environment and Forest, Govt. Of India for "Integrated Common Hazardous Waste Treatment, Storage, Disposal and Recycling facilities & Industrial Estate on plot no. 69, 68/2,67/3, P.S-107at Mahui Mauja (Village), Koilwar- Babura Road, District- Bhojpur, Bihar by M/S Ramky Enviro Engineers Ltd., Hyderabad.

---

Public Hearing conducted on 16-10-2014 by Bihar State Pollution Control Board which was directed by Mr. Suresh Kumar Sinha, ADM District-Bhojpur. The Public Hearing was conducted at premises of Ambika Sharan Singh High School, Jamalpur, Post- New Mohmadpur, Koilwar-Babura Road, Dist.-Bhojpur. The Public Hearing was followed by the T.R.O letter no. T-9866 Dated: 08-09-2014 by Ministry of Environment and Forest, Govt. Of India which was again followed by the letter no. 2598 Dated: 11-10-2014 by Bihar State Pollution Control Board.

The public hearing was hosted by Mr. Nand kr. (Deputy environmental engineer) and Mr. S. N. Jaiswal (Scientist) and other people from Bihar State Pollution Board (BSPB). The program was directed by honourable ADM of Bhojpur District. ADM and BSPB people together welcomed the local villagers who came to attend the public hearing after which representative from M/s Ramky Enviro Engineers Ltd., Hyderabad.

Dr. K. Srinivas and Shri Ram N. Agnihotri gave the project plan as the power point presentation depending upon which local people will give suggestions. In the presentation, Dr. K. Srinivas describe the project in detail i.e the total expenditure on the proposed project will be around 248.67 Crores which will be established in the 57.24 acres of land. The common facility includes wastes for Scientific landfill (25000 TPA), wastes after stabilization (15000 TPA), Bio-medical Waste treatment and disposal (1500 TPA) and E-waste recycling and disposal (30000 TPA). In the second stage, incinerable waste (20000 TPA), recycling of used oil and cleaning (10000 TPA), Used Lead Acid Batteries recycling (24000 TPA), plastic waste recycling (10000 TPA) and recycling of paper waste (10000 TPA). In the third stage, production of the power in form electricity from waste will generated of capacity of 2MW and renewable energy of 2MW facilities will be established.

For the Integrated Common Hazardous Waste Treatment, Storage, Disposal and Recycling facilities & Industrial Estate power consumption will be 1500 KW and around 423 KW of ground water will be required. Integrated Common Hazardous Waste Treatment, Storage, Disposal and Recycling facilities & Industrial Estate will generate around 80 KW of the waste water per day. The generated waste water will be recycled and it will be reused inside the plant premises. The plant will fully based on zero liquid discharge principle therefore no waste water will be discharge outside of the premises.

In incineration facility, height of the stack will be 30 meters which will be based on the guidelines and standards given by the Govt. Of India and that includes Multi Cyclone , Bag house Filters and wet scrubbers. The smoke coming out from the stack will be continuously

monitored by BSPCB through Real Time Emission Quality Monitoring System (RTEQMS). The RTEQMS will give all sorts of data.

The wastes which can be recycle will be recycled i.e diff. wastes, used oil, Lead Acid batteries, paper waste, plastic waste will be recycled and from these recycled materials new products will be manufactured. Waste generated in the recycling process will be either incinerated or will be disposed in scientific landfill.

Waste having high calorific value and which cannot be recycled, those waste will be incinerated into the incineration or will be disposed into the scientific landfill. It will be notify the there will be only one incinerator for both Bio-Medical waste and industrial waste. There will be no other incinerator esp. for Bio-medical waste. Waste having low calorific value will be disposed into scientific landfill.

The establishment of the Recycling, Incineration plant and Scientific Landfill will be on authorised land. Along with these establishments the Integrated Common Hazardous Waste Treatment, Storage, Disposal and Recycling facilities & Industrial Estate will also made proper roads and develop green belt around the proposed plant area. Integrated Common Hazardous Waste Treatment, Storage, Disposal and Recycling facilities & Industrial Estate will require 220 man powers.

It is also notify that during E.I.A monitoring, air quality, noise quality and ground water found similar to the Indian standards. M/s Ramky Enviro Engineers Ltd., prepared the Environment protection methods which protect the environment and wont harm environment. It is also notify that proposed project plant is far from the population of 200 of distance 0.5km. Sone river is 1 km far from the proposed plant. Arah railway station and National highway are 15 kms and 4 kms far respectively.

Incineration plant and scientific landfill in proposed project plant will be according to the guidelines and Standards given by Govt. Of India for the management of the waste highly equipped laboratory will be established so that estimation of quality of waste will be carried out and scientifically the waste will be disposed.

Sri Gauri Shankar, Narayanpur, Daulatpur, Bhojpur wants to know
A) Weather acids will be used in recycling process or burning?
B) what are the chances of Air pollution by Recycling process ?
C) If air pollution happened, how it will be control?
D) Ground water will be used in recycling processes, the level of ground water will go down then ?
E) What is the process of disposal of E-waste?
F) How company will deal with the waste comes from recycling processes?

He opposes the establishment of the “Integrated Common Hazardous Waste Treatment, Storage, Disposal and Recycling facilities & Industrial Estate” Project.

Replied by Dr. K. Srinivas and Mr. Ram Narayan Agnihotri

A) There won't be any burning involve in the case of Recycling. Recycling Technique will completely depend upon the type of waste.

B) Waste having high Calorific Values will be incinerate in incineration plant which will be equipped by multi-cyclone, Bag filters and wet scrubber which avoids the air pollution. Site will have well defined area of Green Belt.

C) The monitoring of air quality will be continues by Continues Emission Monitoring System which will be done by Bihar State Pollution Control Board (BSPCB).

D) Whatever the water will be used for the industrial and domestic purpose, that water will be again recycled and will be use for other purpose. The plant will run on Zero Discharge phenomenon.

E) Disposal of E-waste will be carried out according to the guidelines provided by SPCB.

F) The waste generated in recycling process will be disposed scientific landfill according to the guidelines provided by the SPCB.

Mr. Shashi Bhushan Pandit, Jogta, Bhojpur told

A) Ramky Enviro Engineers Ltd. Didn't informed us about Public Hearing
B) Presence of Water Body (River) within 50 meters
C) Due to burning chlorinated plastic dioxin gases will produced
D) Why Ramky Enviro Engineers Ltd. Is giving E.I.A prepared by same company?
E) E.I.A should be done from third party
F) In 2008, Ramky Enviro Engineers Ltd. Is declared as fraud by Supreme Court

He opposes this common facilities project.

Replied By ADM and Bihar State Pollution Control Board
A) Ramky Enviro Enginners Ltd. Published the news about public hearing more than 30 days in advance. The news about Public Hearing was published on 06-09-2014 issue of Dainik Jagaran, Prabhat Khabar and Times of India daily News papers.

Replied By Mr. Ram Narayan Agnihotri
B) According to real measurement the water body is 1 km far from site of proposed plant.
C) The E.I.A report prepared by Ramky Consultancy which accredited by NABET. E.I.A report prepared including all the guidelines given by NABET.
D) Supreme Court never gave such statement about Ramky Enviro Engineers Ltd. (No Evidence provided by Mr. Pandit).

Sri Ganga Sagar Singh, Manikpur, Bhojpur told

A) According to the guidelines Plant Site should be 10 kms far from Populated area and A village called Vishnupur is just 3 kms far from the site.

Replied
A) According to the guidelines, population of 200 people should be far at least 500 meters or .5 km.

Shri Gopal Krishnan, Jamalpur, Bhojpur wants to know that

A) According to the Guidelines of High court the incineration facilities for Bio Medical Waste treatment and disposal facilities should be far at least 10 kms from population.

B) CRPF training School is there within 3 kms and it is not mentioned in E.I.A report.

C) Nearest railway station is Koilwar but in E.I.A report Ara railway station is mention.

D) Dioxin gases will be produced by the plant

He opposes the project.

Replied

A) According to N.G.T (National Green tribunal) guidelines any common facilities related to Bio Medical waste should be approved from Common Bio Medical Waste Treatment and Disposal Facilities (CBMWTDF).
B) According to guidelines, there is no CRPF training School in within 0.5 km radius.
C) According to the guidelines, both of the railways line as well stations are far from 0.5 km.

Replied By BSPCB
D) Currently they don't have instrument to measure the level of dioxin gas but if it will necessary monitoring will be done by CPCB.

Shri Ashok Kumar jain wants to know that

A) Land purchased by Ramky Enviro Engineers Ltd. Is agricultural land
B) Flood prone area
C) Data given for power consumption and water consumption is not correct.

Site area should be examine

Replied
A) land hardly used for agriculture
B) For last 60 years there was no flood

Shri Vijendra Kumar, manakchak, told due to the presence of plant the area and villages will develop.

He supported the project.

Replied
Opening of plant will also creates the job opportunity which will bring development.

Mr. Prabhunath singh, former Mukhiya, Narayanpur told
A) it is flood prone area
B) distance of plant is very less to river
Site area should be examined once again.

Mr. Sandip Kumar & Mr. Manoj Kumar, Jamalpur told
Waste will come from all other districts and it will pollute the our villages

Replied from
Transportation will be carried out according to the guidelines of SPCB and there won't be any littering of waste.

Mr. Pabhu Yadav, Former Mukhiya told
A) plant won't provide any jobs to our people
B) Waste will come from all other districts and it will pollute the our villages
C) Wastes will pollute the river water

He opposes the establishment of the project and plant.

Replied from
A) opening of plant will create job opportunity
B) Transportation will be carried out according to the guidelines of SPCB and there won't be any littering of waste.
C) Plant will follow all guidelines provided by SPCB and it is strictly following Zero liquid Discharge phenomenon.

Local villagers present in the public hearing were opposed the Integrated Common Hazardous Waste Treatment, Storage, Disposal and Recycling facilities & Industrial Estate for the waste management. Few villagers were in favour also. M/s Ramky Enviro Engineers Ltd.'s consultancy department did the E.I.A monitoring. The Ramky Consultancy is accredited by National Accreditation Board for Education & Training (NABET).

ADM who directed the public hearing told the people who opposed the establishment og the proposed plant should know that Integrated Common Hazardous Waste Treatment, Storage, Disposal and Recycling facilities & Industrial Estate proposed by M/s Ramky Enviro Engineers Ltd. Should follow T.O.R and guidelines provided by Govt. Of India. Environmental protection methods were prepared for such type of facilities.

If the facilities follows and based on the all guidelines and standards provided by Govt. Of India and establishment accordingly i.e population near, proposed plant, railway lines, National Highway and river from 0.5 km should be far and based on environmental protection methods then there will be no chances of harming of environment.

Integrated Common Hazardous Waste Treatment, Storage, Disposal and Recycling facilities & Industrial Estate i.e proposed plant will bring direct and indirect job opportunities for the

local people and it will provide good opportunities for industrial waste and other wastes management.
Company should follow all the guidelines and standards given by Govt. Of India which was shown in the presentation of the proposed plant.
After all opposes/supports/suggestions ADM of Bhojpur District thanked everyone who attended the public hearing and ordered to end up the public hearing.

| | | |
|---|---|---|
| Mr. S. N. Jaiswal | Mr. Nand kumar | Mr. Suresh Kumar Sinha |
| Scientist | Dept. Environmental Engineer | Director |
| BSPCB | BSPCB | ADM, Bhojpur District |

Public Hearing 16-10-2014 at 11:00 Am at playground, Ambika Sharan High School, jamalpur, new mumhadpur after the clearance given by Ministry of Environment and Forest, Govt. Of India for "Integrated Common Hazardous Waste Treatment, Storage, Disposal and Recycling facilities & Industrial Estate at Mahui Mauja (Village), Koilwar- Babura Road, District- Bhojpur, Bihar by M/S Ramky Enviro Engineers Ltd., Hyderabad.

| Dignitaries Name | Address and mobile No. | Signature |
|---|---|---|
| 1. Mr. Suresh Kumar Sinha | ADM, Bhojpur District 9473191233 | |
| 2. Mr. Shivaji Singh | Circle officer, koilwar 8544412483 | |
| 3. Mr. Nand Kumar | Bihar State Pollution control Board | |
| 4. Mr. S.N. Jaiswal | Bihar State Pollution control Board | |
| 5. Mr. Ram N. Agnihotri | Ramky Enviro Engineers Ltd. | |
| 6. Mr. Akhileshwar Singh | Ambika Sharan high School, Jamalpur | |

# Annexure to the Public Hearing Minutes furnishing the Management Plan by Project Proponent

(Project Proponent: Bihar Waste Management Limited (A division of Ramky Enviro Engineers Limited)

| S No | Name and address | Comments remarks and suggestions submitted | Reply given by project manager | Management Plan by Project Proponent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Gauri Shankar, Narayanpur, Daulatpur, Bhojpur | He wanted to know about<br>A) Whether acids will be used in recycling process or burning?<br><br>B) What are the chances of Air pollution by Recycling process?<br><br>C) If air pollution happened, how it will be control?<br><br>D) Ground water will be used in recycling processes, the level of ground water will go down then ?<br><br>E) What is the process of disposal of E-waste?<br><br>F) How company will deal with the waste comes from recycling processes?<br><br>He opposes the establishment of the "Integrated Common Hazardous Waste Treatment, Storage, Disposal and | Replied by Dr. K. Srinivas and Mr. Ram Narayan Agnihotri<br><br>A) There won't be any burning involve in the case of Recycling. Recycling Technique will completely depend upon the type of waste.<br><br>B) Waste having high Calorific Values will be treated in incineration plant which will be equipped with multi-cyclone, bag filters and wet scrubber according to the guidelines provided by the SPCB and MoEF which will minimise the air pollution. The smoke coming out from the stack will be continuously monitored by BSPCB through Real Time Emission Quality Monitoring System (RTEQMS). The RTEQMS will give all type of data. Site will have around 30% of area well defined for Green Belt. | Incinerator will be provided with a stack height 275meters meeting MOEF Guidelines, Spray dryer, Multi cyclone, Bag house, and Wet scrubber.<br><br>Landfill gas management system in secured landfill will be provided.<br><br>Green belt will be provided along the internal roads and plant boundary to arrest all air pollutants within the site.<br><br>E-Waste will contain cell phones, computers, I.C (Integrated Chips) etc. The harmful components will be segregated scientifically and will be recovered / recycled for reuse.<br><br>It will be ensured that the E-Waste facility and dismantling process are in accordance with the guidelines published by the CPCB from time to time.<br><br>Groundwater extraction is only 423 KLD, for recycling process water utilization is very minimal in this type of industries. The water is used mainly for washing/cleanings. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Recycling facilities & Industrial Estate" Project. | C) The monitoring of air quality will be monitored by Continues Emission Monitoring System which will be carried out under the supervision of Bihar State Pollution Control Board (BSPCB). The RTEQMS will give all type of data regarding different gases which will be emitted by stack and it will be continuously monitored by SPCB.<br><br>D) There are no major uses of water in TSDF facility except for cleaning and washing the floors of operations. However the minimized quantity of water used is collected properly and treated before reusing for greenbelt and other purposes. The facility will follow the zero discharge concept.<br><br>E) Disposal of E-waste will be carried out according to the quality and composition of waste and according to the guidelines provided by SPCB.<br><br>F) Depending upon the Calorific | Wastes from the recycling process are solids in dry form, and will be sent to the secured landfill, Wastes from the E waste and plastic waste will be sold to the local recycled dealers according to the commercial value. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Values of the wastes generated in recycling process, the waste will either incinerated in incineration plant (high Calorific Value) or disposed scientific landfill ( low calorific value) according to the guidelines provided by the SPCB. | |
| 2 | Mr. Shashi Bhushan Pandit, Jogta, Bhojpur | A) Ramky Enviro Engineers Ltd. Didn't announced or informed us (local people) about Public Hearing.<br><br>B) Presence of Water Body (River) within 50 meters<br><br>C) Due to burning chlorinated plastic dioxin gases will produced.<br><br>D) Why Ramky Enviro Engineers Ltd. Is giving E.I.A prepared by same company?<br><br>E) E.I.A should be done from third party.<br><br>F) In 2008, Ramky Enviro | Replied By Additional District Magistrate and Bihar State Pollution Control Board official.<br><br>A) Bihar Pollution Control Board published the news about public hearing more than 30 days in advance. The news about Public Hearing was published on 06-09-2014 issue of Dainik Jagaran, Prabhat Khabar and Times of India daily News papers.<br><br>Replied By Mr. Ram Narayan Agnihotri<br>B) According to real measurement the water body is 1 km far from site of proposed plant.<br>C) The monitoring of air quality will be carried out by Continues | Detailed survey and generated from sites were evaluated as per site evaluation criteria given in (HAZWAMS/25/2002-2003). The site 3 has a weightage factor of **64.58** on a scale of 0-100 and it is falling in between good and ideal class based on various site specific parameters.<br><br>Proper steps are taken to prevent reformation of dioxins by rapidly lowering the flue gas temperatures, particularly from 500 °C to less than 200 °C by adopting rapid quench / catalyst / adsorption by activated carbon methods etc. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Engineers Ltd. Is declared as fraud by Supreme Court<br><br>He opposes this common facilities project. | Emission Monitoring System which will be done by Bihar State Pollution Control Board (BSPCB). The RTEQMS will give all sorts of data regarding different gases which will be emitted by stack and it will be continuously monitored by SPCB.<br><br>D) The E.I.A report prepared by Ramky Consultancy which accredited by QCI-NABET. EIA report is prepared as per the MOEF guidelines and as per the ToR issued by EAC, New Delhi.<br><br>E) Ramky Consultancy is already accredited by NABET, (NABET/EIA/RA005rev.01/010).<br><br>F) Supreme Court never gave such statement about Ramky Enviro Engineers Ltd. (There was no Evidence provided by Mr. Pandit) | |
| 3 | Sri Ganga Sagar Singh, Manikpur, Bhojpur | A) According to the guidelines Plant Site should be 10 kms far from Populated area and A village called Vishnupur is just | A) According to the guidelines, a habituated area should not be within 500m from the facility. | Site has been properly selected on the basis of the Hazardous waste Management rules by CPCB, and it is noted that the proper measure are always enforced for the |

## Annexure to the Public Hearing Minutes furnishing the Management Plan by Project Proponent

(Project Proponent: Bihar Waste Management Limited (A division of Ramky Enviro Engineers Limited)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3 kms far from the site. | | pollution monitoring, so as to minimise any adverse impacts due to the operations. |
| 4 | Shri Gopal Krishnan, Jamalpur, Bhojpur | He wanted to know that<br><br>A) According to the Guidelines of High court for the incineration facilities for Bio Medical Waste treatment and disposal facilities should be far at least 10 kms from population.<br><br>B) CRPF training School is there within 3 kms and it is not mentioned in E.I.A report.<br><br>C) Nearest railway station is Koilwar but in E.I.A report Ara railway station is mention.<br><br>D) Dioxin gases will be produced by the plant<br><br>He opposes the project. | Replied<br><br>A) According to N.G.T (National Green tribunal) guidelines any common facilities related to Bio Medical waste should be approved from Common Bio Medical Waste Treatment and Disposal Facilities (CBMWTDF).<br><br>B) According to guidelines, there is no CRPF training School in within 0.5 km radius.<br><br>C) According to the guidelines, both of the railways line as well stations are far from 0.5 km.<br><br>Replied By BSPCB<br>D) Currently they don't have instrument to measure the level of dioxin gas but if it will necessary monitoring will be done by CPCB. | Bio medical waste management and treatment are handled according to the rules 1998 and subsequent amendments. As per the CPCB guidelines the minimum distance from these kinds of Waste Management Facilities should be 500m away. There should be no residential habitants around 500 m of such facilities.<br><br>Proper steps are taken to prevent reformation of dioxins by rapidly lowering the flue gas temperatures, particularly from 500 °C to less than 200 °C by adopting rapid quench / catalyst / adsorption by activated carbon etc.. Dioxins are monitored by third party once the unit is established and the emissions are controlled under the limits. Dioxins and Furans are monitored twice in a year. |

## Annexure to the Public Hearing Minutes furnishing the Management Plan by Project Proponent

(Project Proponent: Bihar Waste Management Limited (A division of Ramky Enviro Engineers Limited)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Shri Ashok Kumar jain | He wants to know that<br>A) Land purchased by Ramky Enviro Engineers Ltd. Is agricultural land.<br>B) Flood prone area<br>C) Data given for power consumption and water consumption is not correct.<br>Site area should be examine | A) Land hardly used for agriculture.<br><br>B) For last 60 years there was no flood. | Effluent treatment plant is proposed in the facility to reuse the wastewater, generated from floor washings/cleanings and facility makes sure to reduce the extraction of groundwater based on the operations carried out in the facility.<br>Power requirement for the facility is 1500 Kva which is very minimal compared to other industrial activities, and it is also proposed to have development of solar power panels of 2 MW for lightening and other purposes. |
| 6. | Shri Vijendra Kumar, manakchak | He told due to the presence of plant the area and villages will develop.<br><br>He supported the project. | Opening of TSDF facility will also create the job opportunity which will bring development. | This project requires direct employment of skilled and unskilled workers during construction and operation phase. It is estimated to employ 220 no's based on the qualification and minimum requirement will be imposed on the position seeking for. The core preference will be given to the local youth. A project manager will be available at site for undertaking these activities. |
| 7. | Mr. Prabhunath singh, former Mukhiya, Narayanp | He told<br>A) it is flood prone area<br><br>B) Distance of plant is very less to river Site area should be | A certificate obtained from revenue department block development officer – Koelwar, Bhojpur District, stating that the land is not prone to the floods and it is land is | Detail investigations were evaluated for site as per site evaluation criteria given in (HAZWAMS/25/2002-2003). The site 3 has a weightage factor of **64.58** on a scale of 0-100 and it is falling in between good |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ur | examined once again. | around 1.25 km away to the west from Sone river. It is noted that the flood occurred in year 1975, and since then no flood has been reported. | and ideal class based on various site specific evaluation studies. |
| 8. | Mr. Sandip Kumar & Mr. Manoj Kumar, Jamalpur | They told<br>Waste will come from all other districts and it will pollute the our villages | Transportation will be carried out according to the guidelines of SPCB and there won't be any spillage of waste. | Measures will be taken to put in place online tracking system for movement of the hazardous waste from generators to the final disposal facility.<br><br>Transportation of the hazardous wastes shall be in accordance with the provisions rules made by the Central Government under the Motor Vehicles Act. 1988 and other guidelines issued from time to time |
| 9. | Mr. Pabhu Yadav, Former Mukhiya, | He told<br>A) Plant won't provide any jobs to our people.<br><br>B) Waste will come from all other districts and it will pollute the our villages<br><br>C) Wastes will pollute the river water.<br>He opposes the establishment of the project n plant. | A) Opening of facility will create job opportunity.<br><br>B) Transportation will be carried out according to the guidelines of SPCB and there won't be any littering of waste.<br><br>C) Plant will follow all guidelines provided by SPCB and it is strictly following Zero Discharge phenomenon. | This project requires direct employment of skilled and unskilled during construction and operation phase. It is estimated to employ 220 no's based on the qualification and minimum requirement will be imposed on the position seeking for. The core preference will be given to the local youth. A project manager will be available at site.<br><br>The Landfill is designed constructed and operated with a double composite liner system as per CPCB/MOEF guidelines to avoid any leakage of water from bottom of |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | the facility. A detailed leachate collection system will be provided to collect all the leachate and treated properly before reusing. Hence there will be no possibility of ground water contamination.<br><br>River Sone is located around 1.25 kilometres from the site and it is ensured that the zero liquid discharge will be maintained, and facility will be closed during rainy days. |